



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्राक : शैक्षणिक /
दिनांक : 12.12.2019

कार्यालय आदेश

संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित कातिपय (नियमित व स्वविलापनीत) विभागों/संस्थानों में सेमेस्टर ब्रेक, ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश व अन्य शैक्षणिक अवकाशों में विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी उक्त अवकाशों का उपभोग करते हैं, जो उचित नहीं है। नां कुलपति जी द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि विश्वविद्यालय परिसर में संचालित समस्त विभागों/संस्थानों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं अधिकारी शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य अवकाश का ही उपभोग करेंगे। उक्त के अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य शैक्षणिक अवकाश अनुमन्य नहीं होंगे।

उक्त कार्यालय आदेश नां कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

- वैयक्तिक सहायक—कुलपति को नां कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
- प्रतिकुलपति महोदया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- समस्त सहाय कुलसचिव/उपकुलसचिव/कार्यालयीकारक/सहाय कार्यालयीकारक।
- प्रभारी वेबसाइट।
- प्रेस प्रबक्ता।

कुलसचिव